न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्,औरंगाबाद।
सत्रवाद संख्या—263/21/231/21
विशाल कुमार उर्फ डब्लु बनाम् बिहार राज्य
नगर थाना काण्ड संख्या— 362/21
सी0आई0एस0सं0:—263/2021

28.04.2023 काराधीन आवेदक अभियुक्त विशाल कुमार उर्फ डब्लु की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूर्व से दाखिल जमानत आवेदन जो नगर थाना काण्ड संख्या 362/21 अंतर्गत धारा 302,120(B)/34 भा0दं0वि0 तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है को आज संचालित किया गया।

विद्वान विधिज्ञ आवेदक अपना जमानत आवेदन को संचालित करते हुये कहते हैं कि आवेदक अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है और जैसा प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है वैसा कोई अपराध कारित नही किये है। आवेदक अभियुक्त का किसी अन्य वरीय न्यायालय में कोई जमानत का आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व इस वाद के अलावे आलमगंज थाना काण्ड संख्या 347/21 दर्ज है। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में सूचिका के द्वारा झुठा फॅसा दिया गया है। सूचिका ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पति जीतु कुमार उर्फ जीतु की हत्या अपने प्रेमी अमीत कुमार उर्फ बिटु उर्फ नेपाली के सहायता से करवाने की बात को स्वीकारी है। प्राथमिकी के अनुसार तथा सूचिका के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 161 के तहत दिये बयान में प्रभा देवी के द्वारा कथन किया गया है कि उसके पति की हत्या नीतिश कुमार और राजा कुमार ने किया है। आवेदक अभियुक्त पर सूचिका के पति पर फायर करने का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्त इस आशय का शपथ देने को तैयार है कि वह विचारण में सहयोग के लिए न्यायालय के आदेश पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभिुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं नगर थाना काण्ड संख्या 362/21 के प्राथमिकी एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्राथमिकी, आवेदक अभियुक्त व अन्य के विरूद्व भा0दं0वि0 की धारा 302,120(B)/34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्रस्तुत वाद अभियोजन साक्ष्य के प्रकम पर चल रहा है और इस वाद में अब तक दो साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है एवं उनके द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन किया गया है। अभियोजन के द्वारा ससमय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विचारण पूर्ण नहीं हो सका है। गवाहों के विरूद्व अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के है। वाद के सह अभियुक्त का जमानत पूर्व में खारिज किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने पर इनके द्वारा फरार होने एवं साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की भी संभावना है। अतः काराधीन आवेदक अभियुक्त विशाल कुमार उर्फ डब्लु की ओर दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित

दिनांकः—28/04/2023

अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्
औरंगाबाद।